भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या-**148

उत्तर देने की तारीख-31/07/2023

**समग्र शिक्षा योजना/स्वच्छ भारत विद्यालय के अंतर्गत विद्यालयों में मरम्मत कार्य**

**†*148. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:**
**डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत बेहतर कार्यशीलता के लिए विद्यालयों में बड़े स्तर के मरम्मत कार्य पर होने वाले व्यय में सहायता मिलती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विद्यालयों में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा साझा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कितने विद्यालयों में मरम्मत कार्य किया गया और अवसंरचना सुविधाओं में वृद्धि की गई;

(घ) क्या सरकार ने स्वच्छ भारत विद्यालय अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण का भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो कितने शौचालयों का निर्माण किया गया है;

(ङ) क्या इस अभियान के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कारण क्या हैं;

(च) विद्यालयों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए शौचालयों के निर्माण की स्थिति क्या है और इन्हें सुलभ बनाने के लिए निर्धारित समय-सीमा का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल और शौचालयों की सुविधा सहित अच्छी अवसंरचना और अन्य मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्री**

**(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**माननीय संसद सदस्यगण श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले व डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा 'समग्र शिक्षा योजना/स्वच्छ भारत विद्यालय के अंतर्गत विद्यालयों में मरम्मत कार्य' के संबंध में दिनांक 31.07.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 148 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) और (ख): जी हां। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+) द्वारा निर्धारित कमियों और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मौजूदा सरकारी स्कूलों के सुदृढ़ीकरण और प्रमुख मरम्मत के घटक सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन और संवर्धन हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहायतार्थ वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन कर रहा है। स्कूलों की आवश्यकता और स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का आकलन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक वर्ष क्रमिक आधार पर किया जाता है और यह उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में परिलक्षित होता है। इसके बाद इन योजनाओं का राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदित/अनुमान लगाया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जून, 2023 तक स्कूलों में बड़े मरम्मत कार्य करने के लिए महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आवंटित केंद्रीय हिस्से का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): समग्र शिक्षा के अंतर्गत ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किए गए मरम्मत कार्य और संवर्धित अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): स्वच्छ विद्यालय पहल के तहत स्कूलों में निर्मित शौचालयों और उनकी पूर्णता की स्थिति का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(च): समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालयों के निर्माण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **अनुबंध-IV** में दी गई है।

(छ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें समुचित सरकारें हैं और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों और संबंधित राज्य आरटीई नियमों के वे ही अनुसार स्कूलों में अवसंरचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी और अधिदेशित हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों सहित विभिन्न मंचों पर बार-बार सलाह दी गई है कि वे स्कूल अवसंरचना में कमियों को दूर करने के लिए पीएबी की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी स्कूलों में बालकों और बालिकाओं हेतु

पृथक शौचालयों और सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधाओं का प्रबंध हो। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे स्कूल अवसंरचना में कमियों को दूर करने के लिए अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के साथ समग्र शिक्षा के विभिन्न घटकों को शामिल करें।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा समग्र शिक्षा योजना के तहत 4590 करोड़ रुपये के समग्र बजट अनुमान के साथ देश भर के लगभग 1.20 लाख सरकारी स्कूलों के अवसंरचनात्मक कायाकल्प और सरकारी स्कूलों में समग्र स्वच्छता संबंधी एक परियोजना को अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यों में बड़ी/छोटी मरम्मत, कार्यात्मक शौचालय (बालक/बालिकाएं), बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक पेयजल सुविधा और चहारदीवारी शामिल हैं। इसका उद्देश्य समग्र शिक्षा और भारत सरकार की सभी प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से देश भर के सरकारी स्कूलों में अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करना है। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिनांक 19.12.2022 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बेहतर स्वच्छता सुविधाओं और स्कूलों में सुरक्षित पेयजल के प्रबंध सहित बुनियादी अवसंरचनात्मक कायाकल्प के संबंध में एक संयुक्त परामर्शिका जारी की गई है।

*****

**अनुलग्नक-I**

**माननीय संसद सदस्यगण श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले व डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा 'समग्र शिक्षा योजना/स्वच्छ भारत विद्यालय के अंतर्गत विद्यालयों में मरम्मत कार्य' के संबंध में दिनांक 31.07.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 148 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जून, 2023 तक स्कूलों में प्रमुख मरम्मत कार्य करने के लिए महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आवंटित केंद्रीय हिस्से का विवरण निम्नानुसार है:-

**(रु. लाख में)**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 जून, 2023 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रारंभिक | माध्यमिक | प्रारंभिक | माध्यमिक | प्रारंभिक | माध्यमिक | प्रारंभिक | माध्यमिक |
| 1 | महाराष्ट्र | 4419.64 | 0.00 | 1248.14 | 0.00 | 9234.65 | 237.87 | 320.00 | 0.00 |
| 2 | तमिलनाडु | 527.15 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 1167.75 | 408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ओडिशा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4699.86 | 641.25 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 0.00 | 0.00 |

स्रोत: प्रबंध पोर्टल

**अनुलग्नक-II**

**माननीय संसद सदस्यगण श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले व डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा 'समग्र शिक्षा योजना/स्वच्छ भारत विद्यालय के अंतर्गत विद्यालयों में मरम्मत कार्य' के संबंध में दिनांक 31.07.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 148 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

समग्र शिक्षा के अंतर्गत ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्ष 2018-19 से जून, 2023 तक किए गए मरम्मत कार्य और संवर्धित अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है:

| ओडिशा 2018-19 से 2023-24 जून 2023 तक | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **घटक** | **अनुमोदन** | **पूर्ण (पिछले वर्षों के अनुमोदन और वर्तमान वर्ष में पूर्ण सहित)** |
| 1 | बालकों का शौचालय | 2343 | 197 |
| 2 | बालिकाओं का शौचालय | 3575 | 183 |
| 3 | सीडब्ल्यूएसएन शौचालय | 1259 | 31 |
| 4 | पेय जल | 254 | 20 |
| 5 | रैम्प और रेलिंग | 1871 | 102 |
| 6 | विद्युतीकरण | 11466 | 6222 |
| 7 | बड़े मरम्मत कार्य | 3507 | 1143 |

स्रोतः प्रबंध पोर्टल

| तमिलनाडु 2018-19 से 2023-24 जून 2023 तक | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **घटक** | **अनुमोदन** | **पूर्ण (पिछले वर्षों के अनुमोदन और वर्तमान वर्ष में पूर्ण सहित)** |
| 1 | बालकों का शौचालय | 2404 | 2236 |
| 2 | बालिकाओं का शौचालय | 4483 | 2981 |
| 3 | सीडब्ल्यूएसएन शौचालय | 4036 | 3487 |
| 4 | पेय जल | 831 | 831 |
| 5 | रैम्प और रेलिंग | 10857 | 10583 |
| 6 | बड़े मरम्मत कार्य | 1735 | 1062 |

स्रोतः प्रबंध पोर्टल

| महाराष्ट्र 2018-19 से 2023-24 जून 2023 तक | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **घटक** | **अनुमोदन** | **पूर्ण (पिछले वर्षों के अनुमोदन और वर्तमान वर्ष में पूर्ण सहित)** |
| 1 | बालकों का शौचालय | 2477 | 147 |
| 2 | बालिकाओं का शौचालय | 2668 | 365 |
| 3 | सीडब्ल्यूएसएन शौचालय | 0 | 7 |
| 4 | पेय जल | 67 | 0 |
| 5 | विद्युतीकरण | 2353 | 227 |
| 6 | बड़े मरम्मत कार्य | 4593 | 1973 |

स्रोतः प्रबंध पोर्टल

| अंडमान और निकोबार 2018-19 से 2023-24 जून 2023 तक | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **घटक** | **अनुमोदन** | **पूर्ण (पिछले वर्षों के अनुमोदन और वर्तमान वर्ष में पूर्ण सहित)** |
| 1 | बड़े मरम्मत कार्य | 1 | 0 |

स्रोतः प्रबंध पोर्टल

**अनुलग्नक-III**

**माननीय संसद सदस्यगण श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले व डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा 'समग्र शिक्षा योजना/स्वच्छ भारत विद्यालय के अंतर्गत विद्यालयों में मरम्मत कार्य' के संबंध में दिनांक 31.07.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 148 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

स्वच्छ विद्यालय पहल के तहत स्कूलों में निर्मित शौचालयों और उनकी पूर्णता की स्थिति का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार हैं:

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | शौचालय | |
|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित | पूर्ण |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 71 | 71 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 49,293 | 49,293 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 3,492 | 3,492 |
| 4 | असम | 35,699 | 35,699 |
| 5 | बिहार | 56,912 | 56,912 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 16,629 | 16,629 |
| 7 | दादरा और नगर हवेली | 78 | 78 |
| 8 | दमन और दीव | 16 | 16 |
| 9 | गोवा | 138 | 138 |
| 10 | गुजरात | 1,521 | 1,521 |
| 11 | हरियाणा | 1,843 | 1,843 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 1,175 | 1,175 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 16,172 | 16,172 |
| 14 | झारखंड | 15,795 | 15,795 |
| 15 | कर्नाटक | 649 | 649 |
| 16 | केरल | 535 | 535 |
| 17 | मध्य प्रदेश | 33,201 | 33,201 |
| 18 | महाराष्ट्र | 5,586 | 5,586 |
| 19 | मणिपुर | 1,296 | 1,296 |
| 20 | मेघालय | 8,944 | 8,944 |
| 21 | मिजोरम | 1,261 | 1,261 |
| 22 | नागालैंड | 666 | 666 |
| 23 | ओडिशा | 43,501 | 43,501 |
| 24 | पांडिचेरी | 2 | 2 |
| 25 | पंजाब | 1,807 | 1,807 |
| 26 | राजस्थान | 12,083 | 12,083 |
| 27 | सिक्किम | 88 | 88 |
| 28 | तमिलनाइ | 7,926 | 7,926 |
| 29 | तेलंगाना | 36,159 | 36,159 |
| 30 | त्रिपुरा | 607 | 607 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | 19,626 | 19,626 |
| 32 | उत्तराखंड | 2,971 | 2,971 |
| 33 | पश्चिम बंगाल | 42,054 | 42,054 |
| **कुल** | | **417,796** | **417,796** |

**अनुलग्नक-IV**

**माननीय संसद सदस्यगण श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले व डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा 'समग्र शिक्षा योजना/स्वच्छ भारत विद्यालय के अंतर्गत विद्यालयों में मरम्मत कार्य' के संबंध में दिनांक 31.07.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 148 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालयों के निर्माण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति निम्नानुसार हैं:

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | बालिका शौचालय | |
|---|---|---|---|
| | | संस्वीकृत | पूर्ण (पिछले वर्षों के अनुमोदन और वर्तमान वर्ष में पूर्ण सहित) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1357 | 1152 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 235 | 235 |
| 3 | असम | 2503 | 1404 |
| 4 | बिहार | 10972 | 1020 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 1674 | 566 |
| 6 | दिल्ली | 48 | 0 |
| 7 | गुजरात | 1940 | 1596 |
| 8 | हरियाणा | 652 | 441 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 501 | 16 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 997 | 188 |
| 11 | झारखंड | 221 | 196 |
| 12 | कर्नाटक | 53 | 25 |
| 13 | केरल | 611 | 649 |
| 14 | लद्दाख | 70 | 0 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 2233 | 202 |
| 16 | महाराष्ट्र | 2668 | 365 |
| 17 | मणिपुर | 856 | 66 |
| 18 | मेघालय | 951 | 0 |
| 19 | मिजोरम | 326 | 143 |
| 20 | नागालैंड | 49 | 26 |
| 21 | ओडिशा | 3575 | 183 |
| 22 | पुद्दुचेरी | 3 | 13 |
| 23 | पंजाब | 1581 | 24 |
| 24 | राजस्थान | 412 | 191 |
| 25 | सिक्किम | 73 | 9 |
| 26 | तमिलनाडु | 4483 | 2981 |
| 27 | तेलंगाना | 1103 | 118 |
| 28 | त्रिपुरा | 149 | 47 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 6714 | 2407 |
| 30 | उत्तराखंड | 598 | 99 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 4115 | 55 |
| **कुल** | | **51723** | **14417** |

स्रोतः प्रबंध पोर्टल